

25/04/24

पञ्जाब सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश।
किसी भी व्यक्ति को, मिसाल इत्यादि होकर पञ्जाबी
सूचक आदेशिकापुस्तक अधिनियम 34/1927
के अन्तर्गत (3)

23/05/24

पञ्जाबली पत्रा हुकूमती वादी वकील एवं वादी स्वयं उपरोक्त
वादी वकील ने धर्मना पत्र वाले पञ्जाबली पत्रा पर
लेने बाबल पत्रा कर निवेदन किया कि पञ्जाबली आज
पत्रा लखीरव पर ली जावे। वकील वादी के धर्मना पत्र
पञ्जाबली आज पत्रा लखीरव पर ली गई। वकील वादी ने
धर्मना पत्र वाले वाद विद्वो उदने बाबल पत्रा कर निवेदन
किया कि उक्त अन्याय के उद्धार में हमारे गांव के
मौज्जिय लोग ने आपकी समझाइस उदने राजीनामा
उरवा दिया है अतः हम उक्त उद्धार को आगे
नही चलाना चाहते है अतः उक्त राजस्व वाद को
जरिये राजीनामा विद्वो फरमाया जावे।

राजगारम

[Signature]

वादी वकील द्वारा उल्लूख धर्मना पत्र को आधारित
ने लखीरव किया जाकर उक्त राजस्व वाद को जरिये
राजीनामा विद्वो किया जाना है। पञ्जाबली फौजल सुमार
हैकर शरिफल दफ्तर हो अथवा के उम हो।

[Signature]

पञ्जाब सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश।
किसी भी व्यक्ति को, मिसाल इत्यादि होकर पञ्जाबी
सूचक आदेशिकापुस्तक अधिनियम 34/1927
के अन्तर्गत (3)